

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.33 (2)गृह-9/2019

जयपुर दिनांक 15.04.2020

आदेश

विषय:-गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 15.04.2020 द्वारा घोषित लॉकडाउन की क्रियान्विति।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 14.04.2020 द्वारा पूरे भारत में अवधि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लागू किया गया लॉकडाउन दिनांक 3 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है एवं इस संबंध में विस्तृत गाईड-लाईन्स दिनांक 15 अप्रैल को जारी आदेश द्वारा जारी की गयी है।

तदनुसार विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.03.2020 द्वारा क्रियान्वयन हेतु जारी किये गये निर्देश एवं इसकी निरन्तरता में जारी किये गये पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2020 तक जारी रहेंगे।

लॉकडाउन अवधि में दिनांक 14 अप्रैल तक के लिये ईकाइयों / व्यक्तियों को जारी की गयी सभी स्वीकृतियां और पास दिनांक 19 अप्रैल 2020 तक स्वतः ही बढ़ाये हुए माने जायेंगे या उस दिनांक तक जो कि पास व्यवस्थता लागू करने के लिये पृथक से विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट कि गयी हो या जब तक कि विशेष रूप से निरस्त नहीं किये गये हों। जब तक कि निर्दिष्ट नहीं किया जाये पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 15.04.2020 द्वारा जारी की गयी गाईड-लाईन्स के अनुसार राजस्थान राज्य में दिनांक 20 अप्रैल से 3 मई 2020 तक की अवधि के लिये लॉकडाउन के संबंध में निम्नानुसार क्रियान्वयन गाईड-लाईन्स जारी की जाती हैं:-

A- 'प्रतिबन्ध' (Restrictions) :

सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 3 मई 2020 तक निम्न प्रतिबंध लागू रहेंगे :

- (1) **दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144:** धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के आवागमन एवं एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
- (2) **निषिद्ध गतिविधियां:** सम्पूर्ण राज्य में निम्नलिखित गतिविधियों पर निषेध जारी रहेगा:
 - (i) सुरक्षा उद्देश्यों अथवा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमत को छोड़कर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा।
 - (ii) सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर, ट्रेनों के द्वारा सभी यात्री आवागमन।
 - (iii) सार्वजनिक परिवहन के लिये बसें।



- (iv) मैट्रो रेल सेवाएँ।
- (v) चिकित्सीय कारणों को छोड़कर या इन दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा व्यक्तियों का अन्तर्राज्यीय अथवा राज्य के भीतर आवागमन।
- (vi) सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
ऑनलाईन अध्यापन/कक्षाओं को प्रोत्साहन एवं सुविधा दी जायेगी।
- (vii) इन दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत गतिविधियों के अलावा सभी औद्योगिक और व्यवसायिक गतिविधियाँ।
- (viii) इन दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से अनुमत आतिथ्य सेवाओं के अलावा अन्य आतिथ्य सेवाएँ/होटल आदि।
- (ix) टैक्सी (ऑटो रिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सहित), कैब समूह सेवाएँ (Cab Aggregators services)
- (x) सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शालाएँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार एवं एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।
- (xi) सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह।
- (xii) सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिये बन्द रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
- (xiii) अन्तिम संस्कार हेतु 20 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं दी जायेगी।

B. सामान्य सावधानियां (Common Prescriptions) :

सभी क्षेत्रों एवं जिलों के लिये निम्नलिखित मानक सावधानियां एवं प्रतिबंध लागू रहेंगे:

सार्वजनिक स्थान: (Public Space)

- (1) सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, कार्यस्थलों में चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- (2) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करेंगे।
- (3) सार्वजनिक स्थान का कोई संगठन/ प्रबन्धक पांच या अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं देगा।
- (4) विवाह और अंतेष्टि जैसे कार्यक्रम जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से किये जायेंगे।
- (5) सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा।
- (6) शराब, गुटका तम्बाकू की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा तथा थूकना पूरी तरह से प्रतिषेध होगा।

कार्य स्थल (Work Spaces)

- (7) सभी कार्य स्थलों में तापमान जांच के लिये पर्याप्त व्यवस्था होगी तथा सार्वजनिक स्थानों पर सैनेटाइजर्स उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (8) कार्य स्थलों पर पारियों के मध्य एक घण्टे अन्तराल होगा तथा सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों के लंच ब्रेक में अन्तराल दिया जायेगा।

- (9) 65 वर्ष से उपर के व्यक्ति और सहस्रगुणता वाले व्यक्ति तथा ऐसे माता पिता जिनके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हों को घर से कार्य (Work of Home) करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।
- (10) सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को "आरोग्य सेतु ऐप" का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।
- (11) सभी संगठन पारियों के मध्य में उनके कार्य स्थलों को सेनेटाईज करेंगे।
- (12) बड़ी सभाएँ निषिद्ध रहेंगी।

विनिर्माण प्रतिष्ठान (Manufacturing Establishments)

- (13) आम सतहों की बार बार सफाई तथा अनिवार्य रूप से हाथों की धुलाई अनिवार्य होगी।
- (14) पारियों का अधिव्यापन (Overlap) नहीं होगा तथा सामाजिक दूरी के साथ कैन्टीन में लंच आदि का अन्तराल रखा जायेगा।
- (15) अच्छी स्वच्छता विधियों पर सघन संचार एवं प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट उपर वर्णित प्रतिबंधों एवं सामान्य सावधानियों को, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में वर्णित जुर्माना एवं दाण्डिक कार्यवाहियों के माध्यम से लागू करना सुनिश्चित करेंगे।

C. संशोधित लॉक डाउन के दौरान अनुमत गतिविधियां (20 अप्रैल से 3 मई 2020):

- (i) इन गाईड लाईन्स में वर्णित कोई भी छूट हॉट स्पॉट के रोकथाम क्षेत्रों (containment zone) व क्लस्टर, जैसे कि कर्फ्यू वाले इलाके, में लागू नहीं होंगे।
- (ii) निर्दिष्ट प्रतिबंधों के साथ नीचे वर्णित ऐसे कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखाने आदि इस अवधि में खुलें रहेंगे :
अन्य सभी इकाइयां और प्रतिष्ठान जो नीचे निर्दिष्ट नहीं हैं, बन्द रहेंगे।
- (iii) "अनुमत" श्रेणी के सभी प्रतिष्ठान/सेवाओं के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी (जब तक कि विशेष रूप से उल्लेख नहीं हो) निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन खुले / संचालित रहेंगे।

1. ऐसी इकाइयां आदि यह सुनिश्चित करेंगी की उनके द्वारा बुनियादी एहतियाती निर्दिष्ट निर्देशों का पालन किया जा रहा है।
2. जिला प्रशासन / विभागों / स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त मानकों / एहतियातों की पालना की जा रही है।
3. कोई भी युनिट जिसके द्वारा शर्तों की पालना नहीं की जा रही है, बन्द कर दी जायेगी एवं उसके विरुद्ध केस दर्ज होगा।
4. कोई दूकान, कारखाना, प्रतिष्ठान आदि जो अनुमत श्रेणी में नहीं है और लॉकडाउन के अन्तर्गत जारी किये आदेशों की अवहेलना करते हुये खुली पाई जावे, के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
5. किसी को संशय हो कि उसकी इकाई "अनुमत" श्रेणी में है या नहीं, वह जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। कारखाने के प्रकरण में उद्योग विभाग से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा।

- (iv) जिला प्रशासन द्वारा "हॉट-स्पॉट" (संवेदनशील स्थान) / कफ्यू क्षेत्र / 'क्लस्टर्स' के लिये जारी किये गये विशेष आदेश, नीचे दिये गये किसी भी निर्देशों पर प्रभावशील रहेंगे:

1. चिकित्सा :

सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सालय एवं उससे संबंधित चिकित्सा संस्थान जैसे कि डिस्पेंसरी, लैबोरेट्रीज, क्लीनिक्स, नर्सिंग होम्स, आयुष (आयुर्वेद, युनानी, हौम्योपैथिक आदि) पशु चिकित्सालय एवं औषधीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं आदि पूरी तरीके से कार्यरत रहेंगी।

पास की व्यवस्था : किसी भी चिकित्सा वाहन, किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस तथा चिकित्सा स्टॉफ के निजी वाहनों के आवागमन के लिये पास की आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी पहचान पत्र (राजकीय या निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान द्वारा जारी) पर्याप्त होगा।

पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि सभी चिकित्सा कार्मिकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टॉफ का आवागमन तथा अस्पताल की अन्य सहायक सेवाओं का परिवहन बिना व्यवधान के जारी रहे।

2. सरकारी कार्यालयों (स्वायत्तशासी / अधीनस्थ कार्यालय एवं सार्वजनिक निगम सहित) :

I. राज्य सरकार (State Government)

कार्यालय समय में सभी राजकीय कार्यालय निम्नानुसार खुले रहेंगे एवं ऊपर वर्णित सावधानियों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे :

1. आवश्यकता के आधार पर जो विभाग और उनके क्षेत्रीय कार्यालय स्टॉफ की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के संचालित होंगे।
 - a. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुर्वेद (आयुष)
 - b. गृह: पुलिस, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस, जेल और एफएसएल
 - c. वित्त, कोषालय तथा सभी राजस्व अर्जित करने वाले कार्यालय / प्रतिष्ठान सहित, आवश्यकता के अनुसार स्टॉफ के साथ
 - d. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राहत एवं आपदा प्रबन्धन, आवश्यकता के अनुसार स्टाफ के साथ
 - e. कृषि, कृषि विपणन बोर्ड सहित कृषि और न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालनों सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी सभी एजेंसियां— आवश्यकता के अनुसार
 - f. सहकारिता— आवश्यकता के अनुसार
 - g. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग—आवश्यक ऑनलाइन सेवाओं के संधारण के लिये जैसी आवश्यकता हो।
 - h. ऊर्जा विभाग – (सभी निगमों सहित) आवश्यक सेवाओं के लिये संधारण के लिये जैसा आवश्यक हो।
 - i. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग – आवश्यक सेवाओं के संधारण के लिये, जैसा आवश्यक हो।

- j. स्वायत्त शासन विभाग (सभी नगरीय निकायों सहित) आवश्यक सेवाओं से संबंधित।
- k. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जैसा कि अनुमत गतिविधियों के लिये आवश्यक हो।
- l. उद्योग विभाग, रीको सहित – जैसा आवश्यक हो।
- m. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत सहित – अनुमत गतिविधियों से संबंधित समस्त स्टॉफ
- n. वन विभाग कार्यालय – चिड़ियाघर, नर्सरी, वन्यजीव, दावानल शमन सेवाएं, वृक्षारोपण, पेट्रोलिंग एवं परिवहन के लिये आवश्यक कर्मचारी / श्रमिक
- o. स्टेट मोटर गैराज – आवश्यकता अनुसार केवल आवश्यक स्टाफ
- p. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग –
- q. जिला प्रशासन – जैसा आवश्यक हो।

(2) अन्य विभाग एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालय निम्नानुसार खुले रहेंगे :

- (i) सचिवालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय – अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के उप सचिव स्तर तक के अधिकारी तथा एक तिहाई मंत्रालयिक एवं अन्य रोटेशन के आधार पर
- (ii) जिला स्तर कार्यालय – जिला स्तरीय अधिकारी एवं उनके तत्काल अधीनस्थ कार्मिक तथा शेष एक तिहाई आधार पर।
- (iii) जिला कार्यालयों के नीचे के कार्यालय – सभी स्टॉफ जो कार्यालय में उपस्थिति नहीं देंगे वे “वर्क फ्रॉम होम” की स्थिति में रहेंगे तथा किसी भी समय कर्तव्य पर बुलाये जा सकेंगे। ऐसे कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे तथा किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग नहीं कर सकेंगे।

II. भारत सरकार (Government of India)

गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 15 अप्रैल 2020 के निर्देशों के अनुसार

पास की व्यवस्था – सभी राजकीय कर्मचारी एवं स्टॉफ उनके सरकारी वाहन, ऑन ड्युटी अनुबंधित वाहन या निजी वाहन से सरकारी पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर घर से कार्यस्थल तथा कार्यस्थल से घर तक आ जा सकेंगे। पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी। निजी वाहन के मामलों में परेशानी मुक्त आवागमन के लिये राजकॉप सिटीजन एप अथवा ऑनलाईन ई-पास <https://epass.rajasthan.gov.in> से प्राप्त करने की सलाह दी जाती है।

3. दुकानें (Shops)

नोट : होम डिलीवरी पर जोर दिया जायेगा। अनुमत दुकानें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके पास होम डिलीवरी व्यवस्थाएं हैं तथा यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में जिला प्रशासन से सहायता प्राप्त कर सकती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार

विभाग द्वारा विकसित एवं लान्च किये गये ऑनलाईन एप का उपयोग किया जावे। दुकानों पर न्यूनतम आवाजाही हो।
अनुमत दुकानों की श्रेणियों में निम्न शामिल है :

- केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण आदि, आयुष, पशु चिकित्सा दवाईयां आदि
- किराना एवं प्रोविजन स्टोर जो सभी प्रकार की खाद्यान्नों एवं खाद्य पदार्थों (सभी अवयवों, सॉस, पैकेज फूड आदि सहित) और दैनिक आवश्यकताओं जैसे स्वच्छता उत्पाद हैंडवाश, साबुन, बॉडी वाश, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, टूथपेस्ट, ओरल केयर, सेनेट्री पेड्स, डायपर, कीटाणु-नाशक, सरफेश क्लीनर, डिटर्जेंट, चार्जर एवं बैट्री सेल इत्यादि का विक्रय करते हैं।
- फल एवं सब्जियां, दूध, डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकिन एवं फिश।
- पशु एवं पशु आहार एवं मुर्गी दाना के डिपो एवं इनसे जुड़े हुये संबंधित विक्रय केन्द्र
- कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण
- कृषि मशीनरी यंत्रो, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्ट्स एवं मरम्मत की दुकानें
- रेस्टोरेंट एवं भोजनालय आदि – केवल होम डिलीवरी
- विशेषरूप से राजमार्गों पर ट्रकों की मरम्मत के लिये कार्यशाला/दुकानें
- उचित दूरी पर टायर, पंकचर / रिपेयर की दुकानें
- राजमार्गों पर भोजन हेतु उचित दूरी पर ढाबे (जैसे -40 किलोमीटर) पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ।
- सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकृत कंपनी सेवा/मरम्मत केन्द्र।
- अनुमत परिवहन वाहनों के लिये स्पेयर पार्ट्स की दुकानें

नोट :

- दुकानदार द्वारा जिस किसी उपभोक्ता ने मास्क नहीं पहन रखा है उसको बिक्री नहीं की जायेगी और न ही दुकान में प्रवेश दिया जायेगा।
- एक समय पर छोटी दुकान में 2 से अधिक एवं बड़ी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुये दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।

पास की व्यवस्था – दुकानों के मालिकों तथा दुकानों का स्टॉफ जो होम डिलीवरी में नियोजित है सहित, को जिला प्रशासन / पुलिस द्वारा पास जारी किये जायेंगे। राजकॉप सिटीजन एप या ऑनलाईन <https://epass.rajasthan.gov.in> से प्राप्त करने पर भी पास के लिये आवेदन किया जा सकेगा।

4 सेवाएँ (Service)

a “होम डिलीवरी / ई-कॉमर्स कम्पनी / कूरियर सर्विस”

सभी ई-कॉमर्स / होम डिलीवरी कम्पनी जो सभी प्रकार के सामान एवं वस्तुओं की आपूर्ति करती है। इसमें इनके कार्यालय, भण्डार गृह एवं होम डिलीवरी हेतु व्यक्तियों की सम्पूर्ण श्रृंखला सम्मिलित है। ऐसी कम्पनियों को सेवा उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आपूर्ति में लगे कर्मों द्वारा मास्क, दस्ताने एवं सेनेटाईजर जैसे सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित किया जावे।

पास व्यवस्था – ऐसी सभी कम्पनियां को अधिकार पत्र दिये जायेंगे। ऐसी कम्पनियां जो राष्ट्रीय /राज्य स्तर पर संचालित होती है, को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से अधिकार पत्र या पास प्राप्त करेंगे तथा जो कम्पनियां जिला स्तर पर संचालित हैं, उनको जिला कलक्टर के स्तर से पास प्राप्त करना होगा। ई कॉमर्स संचालकों द्वारा उपयोग में लिये गये वाहन आवश्यक स्वीकृति के साथ आवागमन के लिये अनुमत होंगे।

ऐसी कम्पनियां अपने स्तर पर स्टॉफ एवं डिलीवरी कार्मिकों को पृथक से सूचित किये जाने वाली व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकार पत्र और पास जारी करेगी। ऐसे डिलीवरी करने वाले व्यक्ति युनिफार्म में होने चाहिए एवं कम्पनी द्वारा जारी वैद्य अधिकार पत्र एवं पहचान पत्र को साथ रखेंगे। ऐसी अधिकृत कम्पनियों /सेवा प्रदाता ऑनलाईन <https://epass.rajasthan.gov.in> से “एकसमान पास” प्राप्त करेंगे।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये किसी भी अन्य होम डिलीवरी प्रणाली / कर्मियों के लिये जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करते हुये व्यक्तिगत पास जारी किये जायेंगे।

- b उपयोगिता सुविधाएँ (Utility Services) :** स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी सुविधाएँ जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, आईटी मरम्मत, मोटर और अन्य मैकेनिक, कारपेन्टर्स, मोची, लॉन्डरी एवं धोबी आदि।

पास व्यवस्था – राजकॉपसिटीजन एप या ऑनलाईन <https://epass.rajasthan.gov.in> पर आवेदन करेंगे।

- c निजी सुरक्षा सेवाएँ एवं सुविधा प्रबन्धन सेवाएँ (Private Security Services and Facilities Management Services) :** कार्यालय तथा रिहायशी कॉम्प्लैक्स के रख-रखाव एवं मरम्मत के लिये, सेवा देने वाला कार्मिक यूनिफार्म में होना चाहिए तथा कम्पनी का पहचान पत्र लेकर चलेगा।

पास व्यवस्था – राजकॉपसिटीजन एप या ऑनलाईन <https://epass.rajasthan.gov.in> पर आवेदन करेंगे।

- 5 वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान (Commercial and other Institutions)**

- a. बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम,**

बैंक संचालन के लिये आईटी विक्रेता, बैंकिंग अभिकर्ता और एटीएम के संचालन एवं नकदी प्रबन्धन एजेन्सीज।

पास व्यवस्था : कुछ समय के लिये अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। तथापि शाखा प्रबन्धक एक समान पास के लिये सभी अधिकृत स्टाफ के लिए ऑनलाईन <https://epass.rajasthan.gov.in> पर आवेदन करेंगे।

b. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण एवं केबल सेवाएँ।

पास व्यवस्था: अधिकारिक पहचान पत्र पर्याप्त होगा। राजकीय या व्यक्तिगत वाहन से यात्रा करने पर अलग से पास की आवश्यकता नहीं होगी।

c. टेलीकम्युनिकेशन, इन्टरनेट सर्विसेज, आईटी सक्षम सेवाएँ (ITeS)

डाटा एवं कॉल सेन्टरर्स (केवल सरकारी गतिविधियों / आवश्यक सेवाओं के लिये) जहां तक संभव हो "वर्क फ्रॉम होम" किया जावे। अन्य आई टी एवं आई टी सक्षम सेवाओं के लिये 50 प्रतिशत स्टाफ क्षमता के साथ और जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम किया जावे। ऐसी कम्पनियों सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अधिकृत अधिकारी से अधिकार पत्र प्राप्त करेंगी।

पास व्यवस्था : कम्पनी द्वारा कम्पनी के लैटर हैड पर कर्मचारी का नाम इंगित करते हुये अधिकार पत्र जारी किये जायेंगे। प्रत्येक स्टॉफ / कर्मचारी को अधिकार पत्र एवं कम्पनी द्वारा जारी पहचान पत्र साथ लेकर चलना आवश्यक होगा। यह सलाह दी जाती है कि परेशानी मुक्त आवागमन के लिये यह कम्पनी/ सेवाप्रदाता/उनके कर्मचारी के हित में होगा कि वे राजकॉप सिटीजन एप से ऑनलाईन <https://epass.rajasthan.gov.in> पर आवेदन करेंगे।

कम्पनी के स्वामित्व या अनुबंधित केरिजेज / वाहन जो स्टाफ के परिवहन के लिये नियोजित किये गये के लिये कम्पनी द्वारा वाहन चालक को वाहन नम्बर एवं अधिकृत रूट अंकित करते हुये अधिकार पत्र जारी किया जायेगा।

d. पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम एवं गैस के खुदरा एवं स्टोरेज आउटलेट्स

पास की व्यवस्था : कम्पनी द्वारा कम्पनी के लैटर हैड पर कर्मचारियों के नाम इंगित करते हुये अधिकार पत्र जारी किये जायेंगे। प्रत्येक स्टॉफ / कर्मचारी को अधिकार पत्र एवं कम्पनी द्वारा जारी पहचान पत्र साथ लेकर चलना आवश्यक होगा। यह सलाह दी जाती है कि परेशानी मुक्त आवागमन के लिये वे सभी अधिकृत स्टाफ के लिए राजकॉप सिटीजन एप या ऑनलाईन <https://epass.rajasthan.gov.in> पर आवेदन करेंगे।

e. परिवहन सेवाओं के कार्यालय एवं गोदाम (सामान के आवागमन के लिये)

पास की व्यवस्था : सभी स्टाफ, श्रमिकों एवं वाहनों के लिये ऑनलाईन <https://epass.rajasthan.gov.in> पर आवेदन RTO/DTO को करेंगे।

f. ऊर्जा उत्पादन , सम्प्रेषण एवं वितरण ईकाइयां एवं सेवाएँ

पास व्यवस्था: कम्पनी द्वारा कम्पनी के लैटर हैड पर कर्मचारियों के नाम इंगित करते हुये अधिकार पत्र जारी किये जायेंगे। प्रत्येक स्टॉफ / कर्मचारी को अधिकार पत्र एवं कम्पनी द्वारा जारी पहचान पत्र साथ लेकर चलना आवश्यक होगा। यह सलाह दी जाती है कि परेशानी मुक्त आवागमन के

लिये वे राजकॉप सिटीजन एप या ऑनलाईन
<https://epass.rajasthan.gov.in> पर आवेदन करेंगे।

g. भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित केपीटल एवं ऋण बाजार सेवाएँ

पास व्यवस्था : जिला प्रशासन / पुलिस से प्राप्त किये जायेंगे।

ऑनलाईन पास हेतु राजकॉप सिटीजन एप या ऑनलाईन
<https://epass.rajasthan.gov.in> पर आवेदन करेंगे।

6 उद्योग एवं कार्यशालाएँ (Industries / Workshops)

- a. दवाईयां, औषधीय चिकित्सा उपकरण, इनके कच्चे माल तथा इनके मध्यवर्ती व उत्पाद ईकाइयां
- b. खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण ईकाइयां, तेल मिलों, चावल मिलों, आटा/दाल चक्की आदि सहित आवश्यक वस्तु एवं सभी प्रकार के खाद्य सामान एवं मध्यवर्ती की उत्पादन ईकाइयां
- c. उत्पादन ईकाइयां जिनकी "Continuous Process" आवश्यक है, कोयला एवं मिनरल उत्पादन, खानों के संचालन के लिए विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियां
- d. कैमिकल कारखानें, उस समय तक, जब तक कि उनका वर्तमान उत्पादन चक्र समाप्त नहीं हो जाता।
- e. फार्म मशीनरी एवं उपकरण एवं स्पेयर पार्ट्स की उत्पादन ईकाइयां एवं आपूर्ति श्रृंखला के सभी आईटम
- f. खाद बीज एवं कीटनाशक की उत्पादन ईकाइयां तथा आपूर्ति श्रृंखला, कच्चा माल एवं मध्यवर्ती संबंधित ईकाइयां
- g. पशु आहार एवं मुर्गी दाना आदि की उत्पादन ईकाइयां एवं कच्चा माल तथा सप्लाय श्रृंखला से संबंधित अन्य सामान
- h. सभी प्रकार के उद्योगों के लिये पैकेजिंग सामान उत्पादन करने वाली ईकाइयां तथा अन्य आईटमों के लिए जो इस आदेश की अनुमत श्रेणी में है।
- i. एम्बूलेंस निर्माण / बॉडी बिल्डिंग एवं किसी भी प्रकार का चिकित्सा वाहन
- j. ग्रामीण क्षेत्र में सम्मिलित सभी उद्योग जो नगरीय क्षेत्र की सीमा से बाहर
- k. खादी सहित कुटीर एवं घरेलु उद्योग
- l. तेल एवं गैस का उत्खनन / परिष्करण, रिफाईनरी
- m. सूचना तकनीकी के हार्डवेयर निर्माण
- n. विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) और निर्यातानुमुख इकाइयों (EoUS), रीको औद्योगिक क्षेत्र, फूडपार्क, मसाला पार्क और निजी औद्योगिक क्षेत्रों में पहुंच नियंत्रण के साथ विनिर्माण और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठान । ऐसे प्रतिष्ठान, जहां तक संभव हो गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2020 की गाईडलाइन्स के साथ संलग्न अनुलग्नक II के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया की क्रियान्विति हेतु श्रमिकों को अपने परिसर के भीतर ठहराने की व्यवस्था करेंगे या निकटवर्ती भवनों में। कार्यस्थान पर श्रमिकों के परिवहन के लिये सामाजिक दूरी सुनिश्चित करते हुए समर्पित वाहनों की व्यवस्था की जायेगी।
- o. ईट भट्टे

पास की व्यवस्था :

1. उद्योगों के लिये – संबंधित रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिये वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबन्धक एवं क्षेत्रिय प्रबन्धक द्वारा। अन्य सभी बाहर स्थित उद्योगों के लिये महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ऑनलाईन पास हेतु <https://epass.rajasthan.gov.in> पर आवेदन करेंगे।
2. ग्राम उद्योग , कुटीर एवं घरेलू उद्योग –श्रमिकों के लिये जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त दो श्रेणियों के लिये राजस्थान खादी बोर्ड / जिला प्रशासन द्वारा जारी किये गये पास के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला के लिये कच्चे माल एवं सग्रह की व्यवस्था की अनुमति है।
3. जो श्रमिक कारखाने के परिसर में ही निवास कर रहे हैं उनके लिये पास की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनका बाहर आवागमन नहीं होता है।

7 भण्डार गृह एवं गोदाम (Warehouses and Godowns)

- a. सभी वस्तुओं के सभी भण्डार गृह एवं गोदाम जिनमें उनके कार्यालय तथा परिवहन कम्पनियों के डिपो शामिल हैं, के लिये सामान चढाने एवं उतारने के लिये न्यूनतम श्रमिक एवं कार्यालय स्टाफ।
- b. कोल्ड स्टोरेज

पास की व्यवस्था (स्टाफ एवं श्रमिकों हेतु):

1. संबंधित रीको औद्योगिक क्षेत्र के वरिष्ठ क्षेत्रिय प्रबन्धक/क्षेत्रिय प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा।
2. भारतीय खाद्य निगम / राजस्थान राज्य भण्डार गृह निगम द्वारा स्वयं के या किराये पर लिये गये गोदाम के लिये
3. परिवहन वाहनों व गोदामों आदि के लिये क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी द्वारा
4. अन्य सभी के लिये जिला प्रशासन द्वारा

8 निर्माण गतिविधियां (Constructions Activities)

- a. चिकित्सा/ स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण
- b. ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात् नगर निगमों/नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं की सीमाओं से बाहर, सडकों, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिकी परियोजनाओं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों सहित और रीको एवं निजी औद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रकार की परियोजनाएं।
- c. अक्षय उर्जा परियोजनाओं का निर्माण
- d. नगर निगमों, नगर परिषदों नगर पालिकाओं की सीमाओं के अन्दर निर्माण परियोजनाओं के कार्यों की निरन्तरता जारी रखना जहां साईट पर श्रमिक उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है।
- e. महानरेगा कार्य – सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता उपायों जिनमें चेहरे पर मास्क लगाना शामिल है की कड़ाई से पालना करते हुए अनुमत होंगे। सिंचाई तथा जल संरक्षण कार्यों को महानरेगा के अन्तर्गत प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

- f. सिंचाई एवं जल संरक्षण क्षेत्रों में अन्य केन्द्रीय और राज्या योजनाओं को भी महानरेगा कार्यों के साथ सामन्जस्य स्थापित करते हुए उपयुक्त तरीके से क्रियान्वित किया जायेगा।

पास की व्यवस्था : जिला प्रशासन से प्राप्त की जायेगी।

9 कृषि उद्यानिकी एवं संबंधित गतिविधियां
सभी गतिविधियां – प्रत्यक्ष और संबंधित – अनुमत
इनमें ये भी शामिल है :

- i. कृषि या उद्यानिकी से संबंधित वस्तुओं जैसे खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित अन्य सामानों की विक्रय की दुकानें
- ii. कृषि की सभी कटाई एवं खेती के संचालन/गतिविधियां, कृषि श्रमिकों सहित (इस संबंध में पृथक से आदेश जारी किये गये हैं)
- iii. अनाज, सब्जी एवं फल मण्डियां –
- iv. कृषि / उद्यानिकी उत्पादों का विक्रय – इस संबंध में जारी किये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार
- v. मधुमक्खी पालन
- vi. डेयरी- आपूर्ति श्रृंखला की चारा, दूध उत्पादन प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय आदि से संबंधित सभी गतिविधियां
- vii. मत्स्य आखेट, जलीय कृषि उद्योग जिसमें फीडिंग एवं संधारण, कटाई संस्करण पैकेजिंग कोल्ड चैन ब्रिक्री और विपणन शामिल हैं।
- viii. हैचरी, चारा संयंत्र, वाणिज्यिक एक्वेरिया
- ix. पॉल्ट्री फार्मर्स, हैचरी और पशुधन खेती गतिविधि सहित पशुपालन
- x. गौशाला एवं पशु आश्रय गृह

पास की व्यवस्था : जिला प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार

10 सामाजिक क्षेत्र (Social Sector)

निम्न कार्य चालू रहेंगे :

- a. शिशु/दिव्यांगों/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिक/ महिलाओं के लिये आश्रय गृहों का संचालन।
- b. सुधार गृह देखभाल घरों तथा किशोरों के लिये सुरक्षित स्थान।

पास की व्यवस्था : जिला प्रशासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार

11 खनन (Mining)

- a. लिग्नाइट, लैड(जस्ता), जिंक एवं कॉपर सहित प्रमुख खनिजों का खनन
- b. खान विभाग द्वारा अनुमति के अनुसार अन्य खनिजों का खनन

- c. खानों के संचालन के लिये विस्फोटक एवं अनुषांगिक गतिविधियों के परिवहन एवं आपूर्ति

पास की व्यवस्था : खनन विभाग के संबंधित SME द्वारा जारी

12 होटल एवं आतिथ्य सत्कार सेक्टर

- a. होटल्स, अतिथि गृह, लॉज एवं मॉल्स जिनमें लॉकडाउन के कारण फंसे हुए पर्यटक एवं व्यक्ति तथा मेडिकल एवं आपातकालीन स्टाफ, वायु एवं समुद्री चालक दल ठहरें हुए हैं
- b. क्वारिटाईन सुविधाओं के लिए चिन्हित / उपयोग किये गये प्रतिष्ठान

पास व्यवस्था : जिला प्रशासन या <https://epass.rajasthan.gov.in> पर आवेदन करेंगे।

13 माल/परिवहन सेवाएँ एवं परिवहन

- a. सभी चिकित्सा और पशु चिकित्सा कर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ लैब तकनीशियनों, दार्इयां तथा अन्य अस्पताल सपोर्ट सेवाएँ एम्बूलेंस सहित का (अन्तर जिला और अन्तरराज्यीय वायु सेवा सहित) आवागमन।
- b. माल / कार्गो के (अन्तर जिला और अन्तरराज्यीय) चढ़ाने / उतारने व आवागमन की अनुमति निम्नानुसार होगी :
- सभी माल वाहनों के चलने की अनुमति होगी।
 - रेल्वे का संचालन 'पार्सल व माल का परिवहन की ट्रेनें।
 - राहत और निकासी तथा कार्गो के वायु परिवहन के लिये हवाई अड्डों व संबंधित सुविधाओं का संचालन।
 - कार्गो टान्सपोर्ट के लिये अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो (ICD) का संचालन जिसमें अधिकृत कस्टम (सीमा शुल्क) क्लीयरिंग और अग्रेषण एजेन्ट शामिल होंगे।
 - पेट्रोलियम उत्पादों एवं एलपीजी, खाद उत्पादों, चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं के कॉस लेण्ड बॉर्डर परिवहन के लिये भूमि बन्दरगाहों का संचालन।
 - सभी प्रकार के माल वाहक ट्रकों तथा अन्य माल वाहकों** का दो वाहन चालक एवं एक हैल्पर सहित आवागमन इस शर्त के साथ कि ड्राइवर के पास वैध अनुज्ञा पत्र हो। खाली ट्रक / वाहन को माल की डिलिवरी व सामान लेने के लिये अनुमति दी जायेगी।
- c. अन्तरराज्यीय व राज्य के भीतर संयुक्त कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनों जैसे संयुक्त हार्वेस्टर (Combined harvester) और अन्य कृषि व उद्यानिकी औजार (Implements)

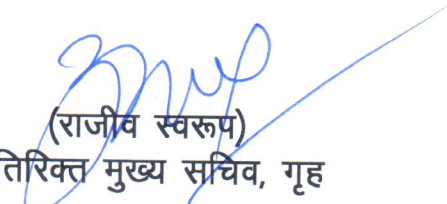
- d. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी SOP के अनुसार Quarantine पूरा करने पर पारगमन यात्रा की व्यवस्था, भारत में विदेशी नागरिकों के लिए / विदेशों से लौटने वाले भारतीयों हेतु।
- e. निम्नलिखित मामलों में व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति होगी :
- i. चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपात कालीन सेवाओं एवं आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिये निजी वाहन। ऐसे मामलों में चार पहिया वाहनों के मामलों के निजी वाहन चालक के अलावा एक यात्री को पीछे की सीट पर अनुमति होगी तथापि दुपहिया वाहन में वाहन चालक को ही अनुमति होगी।
 - ii अनुमत श्रेणी के सभी कार्मिकों को घर से कार्य स्थल और कार्य स्थल से घर आने जाने की अनुमति।
- f. आपातकालीन आपवादिक मामलों में जिला प्रशासन या पुलिस की अनुमति से वाणिज्यिक व निजी वाहनों का अन्तरराजीय आवागमन।
- g. ऑन ड्युटी सरकारी वाहन (अनुबंधित सहित)
- h. अग्नि, कानून व्यवस्था, आवश्यक एवं आपात सेवाएँ
- i. ई कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा आवश्यक अनुमति के साथ उपयोग किये जा रहे वाहन।

पास व्यवस्था : ऑनलाईन पास हेतु राजकॉप सिटीजन एप या ऑनलाईन <https://epass.rajasthan.gov.in> पर आवेदन करेंगे।

जिला परिहन अधिकारी द्वारा अस्पतालों के निकट बदलते हुये क्रम में टैक्सी /ऑटो की उपलब्धता के लिये एक छोटे पूल की व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था बीमार एवं सहयोगी व्यक्ति के अस्पताल से घर जाने के लिये की जायेगी। इसी प्रकार की परिहवन व्यवस्था घर से अस्पताल हेतु भी की जाये। इसका प्रबन्धन स्थानीय पुलिस द्वारा किया जायेगा।

D. क्रियान्वयन मशीनरी (Implementation Machinery)

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.03.2020 में उल्लेखित क्रियान्वयन मशीनरी के अनुसार क्रियान्वयन मशीनरी रहेगी।


(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय
5. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।

7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध कराये।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।



(पी.सी.बेरवाल)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह